


**कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला - दुर्ग (छ.ग.)**

**जी.ई. रोड स्थित उद्यानों का रखरखाव एवं संधारण कार्य**

क्र.	वाडें क्र.	स्थल का विवरण	दर	
			अंकों में	शब्दों में
1	2	3		
1	-	जी.ई. रोड स्थित उद्यानों का रखरखाव एवं संधारण कार्य		

**नियम व शर्तें :-**

- 1 उक्त उल्लेखित उद्यान/सौन्दर्यीकरण कार्यो के रख रखाव व संधारण की अवधि कार्यादेश से 12 माह के लिए होगी।
- 2 उक्त उल्लेखित उद्यानों/सौन्दर्यीकरण कार्य के रख रखाव में साफ-सफाई, पौधो में आवश्यक खाद डालने, घास/पेड़-पौधों की कटिंग कार्य करने इत्यादि समस्त कार्य सम्मिलित है, जिनमें होने वाले समस्त सामग्री व श्रम व्यवस्था प्रस्तुतकर्ता निविदाकार की होगी।
- 3 उक्त उल्लेखित उद्यानों/सौन्दर्यीकरण कार्य के विद्युत व्यवस्था का संधारण/मरम्मत एवं सुरक्षा व आवश्यक सामग्री का वहन निविदाकार द्वारा किया जावेगा।
- 4 उद्यानों के Land Scaping व पेड़-पौधों में पानी डालने की जवाबदारी निविदा कार की होगी। निकाय में उपलब्धता की स्थिति में पानी निकाय द्वारा प्रदाय किया जावेगा। ग्रीष्म काल में स्वयं के ट्रैक्टर/टैंकरों से पानी परिवहन कर डाला जाना होगा, जिसका पृथक से किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जावेगा।
- 5 उद्यानो के रख रखाव व संधारण में संलग्न किए जाने वाले कर्मचारी/श्रमिकों को परिचय पत्र व वर्दी (UNIFORM) प्रदान करना होगा।
- 6 निविदाकार की प्रस्तुत व स्वीकृत दर वार्षिक (12 माह) के लिए होगी। उक्त दर को 12 माहों में समानुपात में विभाजित कर कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में प्रति माह का भुगतान किया जावेगा। जिसमें नियमानुसार आयकर, श्रम कल्याण उपकर (नियमानुसार) व 10% सुरक्षा निधि कटौती की जावेगी। जो कि अनुबंध अवधि समाप्ति उपरांत वापस किया जावेगा।
- 7 उद्यान/सौन्दर्यीकरण कार्यो के विद्युत बिल का भुगतान निकाय द्वारा किया जावेगा।
- 8 सक्षम प्राधिकारी द्वारा समयावधि में वृद्धि अथवा कमी की जा सकती है।
- 9 विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा का अंतिम व सर्वमान्य होगा।

  
**Executive Engineer**  
**Municipal Corporation**  
**Bhilai-Charoda**